

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	1
प्रत्यक्ष कर	
क. कारपोरेट सेक्टर	2
ख. गैर-कारपोरेट सेक्टर	6
ग. व्यष्टि करदाता	8
अप्रत्यक्ष कर	
क. उत्पाद शुल्क	10
ख. सीमा शुल्क	11
निष्कर्ष	16
परिशिष्ट	17

CONTENTS

	Page No.
Introduction	19
Direct Taxes	
A. <i>Corporate Sector</i>	19
B. <i>Non-Corporate Sector</i>	23
C. <i>Individual Taxpayers</i>	25
Indirect Taxes	
A. <i>Excise Duties</i>	27
B. <i>Custom Duties</i>	28
Conclusion	32
Appendix	33

केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10

प्रस्तावना

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को निधिपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि बहुत हद तक कर आधारों और कर दरों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों - जो कर के स्तर और वितरण को प्रभावित करते हैं - का भी एक कार्य है। इन उपायों को कभी-कभी "कर तरजीह" भी कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर एक प्रभाव होता है (अर्थात् इनकी एक लागत होती है) और ये सरकार के नीतिगत विकल्पों को परिलक्षित करते हैं।

कर तरजीहों को अधिमानी करदाताओं को सब्सिडी भुगतानों के रूप में देखा जा सकता है। इन अन्तर्विष्ट भुगतानों का "कर व्ययों" के रूप में उल्लेख किया जाता है और प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें बजट में व्यय मदों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मूल मुद्दा कर नीति का नहीं बरन् सक्षमता और पारदर्शिता का है - कार्यक्रम आयोजना में यह अपेक्षित है कि नीतिगत उद्देश्यों को सुस्पष्ट रूप से सामने लाया जाए; और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे परिव्ययों को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। कर व्यय कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

कर व्यय अथवा परित्यक्त राजस्व विवरण, पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हुई। इससे कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इरादे को भी विश्वसनीयता प्राप्त हुई।

इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पिछले चार वर्ष की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केन्द्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान कर अधिमानताओं की अधिकांश मदों के सम्बन्ध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए है और यही वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, 2008-09 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों अथवा 2009-10 के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व हानि का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्यय के अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किए गए:

- (क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे गए होते हैं। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये गए हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर तरजीहों के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर रियायत की लागत का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। स्पष्ट शब्दों में, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित परित्यक्त राजस्व से भिन्न हो सकता है।

विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों द्वारा बचतों को प्रोत्साहित करने; निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचा सुविधाओं की स्थापना; रोजगार, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान और ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था होती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में कुछ मुख्य कर व्यय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2008-09 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2009-10) के लिए 31 दिसम्बर, 2009 तक 3,66,233 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2009-10 में आशा की गई कुल निगमित विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं। कर व्यय का आकलन लगाने के प्रयोजन के लिए इन 3,66,233 कम्पनियों¹ से सम्बन्धित आंकड़े आयकर विभाग के डेटाबेस से प्राप्त किए गये।

आकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आये:

- कम्पनियों ने करों से पहले 6,68,581 करोड़ रुपये का मुनाफा होने की सूचना दी है² (लगभग 43% कम्पनियों द्वारा नुकसान होने की सूचना दी गई) परन्तु वित्त वर्ष 2008-09 के लिए 4,49,085 करोड़ रुपये मात्र की कुल आय (कर योग्य आय)³ घोषित की।
- इन कम्पनियों ने उसी वित्त वर्ष के दौरान अर्थात् 2008-09 के दौरान 1,52,280 करोड़ रुपये की राशि (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) कॉरपोरेट कर के रूप में अदा की।
- इन कम्पनियों ने वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान अनुषंगी लाभकर के रूप में 6,523 करोड़ रुपये तथा लाभांश वितरण कर के रूप में 10,981 करोड़ रुपये की राशि भी अदा की है।

सारणी 1 में मुनाफा रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा दी गई है। सम्पूर्ण सैम्पल की प्रभावी कर दर⁴ 22.78⁵ प्रतिशत रही। (2007-08 में 22.24 प्रतिशत की दर के मुकाबले) जो 33.99 प्रतिशत की सांविधिक कर दर से काफी कम थी। 500 करोड़ रुपये और इससे अधिक के मुनाफे वाली कुल 179 कम्पनियों ने करों से पहले (इसके बाद पीबीटी) कुल मुनाफे के 57.54 प्रतिशत और कुल देय कॉरपोरेट आयकर के 55.71 प्रतिशत का योगदान किया। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर एक करोड़ रुपये तक के कर-पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों की 25.52 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की तुलना में 22.05 प्रतिशत थी।

एक करोड़ रुपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (67.17 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (79.95 प्रतिशत) है। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का यह कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

सारणी 1 : करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2008-09) (सैम्पल आकार - 366233)

क्रम सं.	करों से पूर्व मुनाफा	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	शून्य से कम	132356	0.00	0.58	0.36	-	-
2	शून्य	24521	0.00	3.27	1.39	-	-
3	0-1 करोड़ रुपए	188584	3.17	3.78	3.56	79.95	25.52
4	1-10 करोड़ रुपए	16596	7.47	7.55	7.87	67.88	23.99
5	10-50 करोड़ रुपए	2907	9.32	8.51	9.14	61.37	22.35
6	50-100 करोड़ रुपए	531	5.51	4.98	5.37	60.75	22.21
7	100-500 करोड़ रुपए	551	16.99	15.50	16.60	61.29	22.26
8	500 करोड़ रुपए से अधिक	179	57.54	55.83	55.71	65.18	22.05
9	सभी नमूना कंपनियां	366233	100.00	100.00	100.00	67.17	22.78

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 47 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 18.44 प्रतिशत और कुल प्रदत्त कर का 20.66 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में, बहुत बड़ी संख्या में कम्पनियों (2,02,543) ने अपने लाभ के संबंध में कर के गैर-समानुपातिक रूप में कम राशि का योगदान किया। मजे

1. वित्त वर्ष 2007-08 के लिए नमूना आकार 4,10,45 था (31 मार्च, 2009 तक के आंकड़े वित्त वर्ष 2007-08 के बजट के रूप में लिए गए जो जुलाई, 2009 में प्रस्तुत किया गया।

2. इसमें घाटे वाली कंपनियां शामिल नहीं हैं।

3. आयकर विवरणी में पद "कुल आय" कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।

4. कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर व अनुषंगी लाभ कर शामिल नहीं) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

5. लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 24.42 प्रतिशत थी।

की बात यह है कि 40,714 कम्पनियों, जिन्होंने कुल लाभ में 19.65 प्रतिशत और कुल कर में 36.10 प्रतिशत का योगदान किया है, की प्रभावी कर दर सांविधिक दर की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार कम्पनियों के बीच कर देयता असमान रूप से बंटी हुई है। यह असमानता कानून के अन्तर्गत विभिन्न कर अधिमानों के कारण है।

सारणी 2 : नमूना कम्पनियों के प्रभावी कर-दर* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2008-09) (सैम्पल आकार-366233)

क्रम सं.	प्रभावशाली कर दर (प्रतिशत में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल आय में हिस्सा (प्रतिशत में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (प्रतिशत में)
1	शून्य से कम तथा शून्य	146554	4.25	0.71	0.36
2	0-20	55989	42.75	17.73	20.30
3	20-25	11581	5.63	7.22	5.59
4	25-30	18570	8.43	10.42	10.20
5	30-33.99	68296	19.31	27.98	27.45
6	>33.99	40714	19.65	35.93	36.10
7	अनिर्धारण	24529	0.00	0.00	0.00
8	सभी नमूना कंपनियां	366233	100.00	100.00	100.00

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों (पीएसयू केवल) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हालांकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है फिर भी यह स्पष्ट है कि सरकारी कम्पनियां निजी कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि कर के रूप में देती हैं। इस प्रकार, निजी क्षेत्र में सरकार की बहुत बड़ी राशि कर व्यय के रूप में खर्च करनी पड़ती है।

सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2008-09) (सैम्पल आकार-365509)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सरकारी	1947	21.69	25.85	27.14
2	निजी	363562	78.31	74.15	21.56
	योग	365509	100.00	100.00	22.77

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 4 में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। सेवा क्षेत्र की अपेक्षा विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी कर दर कम है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 33.99 प्रतिशत की सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2008-09) (सैम्पल आकार-365509)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	101329	48.46	46.74	21.97
2	सेवा	264180	51.54	53.26	23.53
	योग	365509	100.00	100.00	22.77

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योगवार वितरण अन्त में में परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। उसके अवलोकन से यह पता चलता है कि कमोवेश सभी उद्योगों की प्रभावी कर दर सांविधिक स्तर से कम है परन्तु यह सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा प्रदाताओं और बीपीओ सेवा प्रदाताओं तथा सॉफ्टवेयर विकास एजेंसियों के लिए सबसे कम है जो क्रमशः 13.1 प्रतिशत और 11.8 प्रतिशत है। इन दोनों उद्योगों का योगदान कुल लाभों का 6.82 प्रतिशत किन्तु कुल करों का केवल 3.70 प्रतिशत है।

इन कम्पनियों द्वारा दावा किए गए प्रत्येक कर रियायत पर परित्यक्त कर, प्रत्येक कटौती की राशि पर 33.99 प्रतिशत की कार्पोरेट कर दर का उपयोग करते हुए, परिकलित की गई है। त्वरित मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती; तथा जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की पात्र परियोजनाओं/योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती के कारण परित्यक्त राजस्व पहले कम्पनियों को हुए लाभ हानि खातों के नामे डाले गए मूल्य ह्रास/कटौती तथा आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञ मूल्य ह्रास/कटौती के मध्य अन्तर को निर्धारित करते हुए परिकलित किया गया है। इसके पश्चात् परित्यक्त राजस्व की राशि के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, 33.99 प्रतिशत की कार्पोरेट कर दर को इस अन्तर के लिए लागू किया गया है।

यद्यपि सभी कम्पनियों में से 90 प्रतिशत ही नमूना कम्पनियों में शामिल है, इन नमूना कम्पनियों के कारण राजस्व परित्याग को कारपोरेट सेक्टर में कुल राजस्व परित्याग के रूप में लिया गया है। इस सीमा तक परित्यक्त राजस्व को कम आंका गया हो सकता है।

वित्त वर्ष 2008-09 के राजस्व परित्याग संबंधी आंकड़ों के आधार पर, चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2009-10 में संग्रहित वास्तविक कर (2,13,395 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर राजस्व परित्याग के अनुपात की गणना करके और फिर 2009-10 के संशोधित अनुमान कार्पोरेट कर संग्रहण (2,55,076 करोड़ रुपए) पर इसी अनुपात को लागू करके 2009-10 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। सारणी 5 वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से कार्पोरेट करदाताओं का प्रमुख कर व्यय दर्शाती है।

सारणी 5: वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार 410451)

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2008-09)	निरूपित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2009-10)
1	एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	12321	14651
2	ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	67	80
3	सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	2677	3183
4	ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	60	71
5	एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	55	65
6	निर्यातोन्मुख यूनिटों (ईओयू) यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख)	6714	7984
7	कलानात्मक मूल्य की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10खक)	9	11
8	त्वरित मूल्य ह्रास (धारा 32)	21175	25180
9	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/धारित कटौती (धारा 35(1) (2कक) एवं (2कख)	2526	3004
10	जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती (धारा 35कग)	78	93
11	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	371	442
12	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छछक)	1	1
13	राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	24	29
14	कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा पोत अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ)	शून्य	शून्य
15	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	1553	1847
16	सेज और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	315	375

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2008-09)	निरूपित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2009-10)
17	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	4360	5185
18	बिजली के उत्पादन, वितरण और पारेषण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	6352	7553
19	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	122	145
20	सेज अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	1422	1691
21	लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	120	143
22	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	175	208
23	जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	321	382
24	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	70	83
25	मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेंशन सेंटर से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	17	20
26	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	74	88
27	खनिज तेल के उत्पादन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	936	1113
28	आवास परियोजनाओं से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	813	967
29	कोल्ड चैन फेसिलिटी के प्रचालन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	4	5
30	खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	25	30
31	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पेकेजिंग से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	56	67
32	ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	1	1
33	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	515	612
34	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	37	44
35	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	1543	1835
36	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	1933	2299
37	जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80 जजक)	25	30
38	नए कामगारों को राजगारों के संबंध में कटौती (धारा 80 जजकक)	29	34
39	अपतटीय बैंकिंग यूनियनों (ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक)	5	6
योग :		66901	79554

यद्यपि पिछले वर्ष 2008-09 के लिए निरूपित राजस्व परित्याग 68,914 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब 66,901 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2.92 प्रतिशत कम है।

त्वरित मूल्य हास लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत कर राजस्व की सर्वाधिक राशि (21,175 करोड़ रुपए) का परित्याग हुआ है।

विभिन्न क्षेत्रों में, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्को (एसटीपी), निर्यातान्मुख उपक्रमों (ईओयू), विद्युत एवं दूर संचार क्षेत्रों के लिए कटौतियों का कुल कर परित्याग में क्रमशः 18 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत हिस्सा है।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2009 के समय वित्त वर्ष 2008-09 के लिए एसईजैड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ पर कटौती 1,222 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। तथापि, इन यूनिटों के लिए उसी वर्ष के दौरान वास्तविक राजस्व परित्याग की अब गणना 2,677 करोड़ रुपए की गई है। वित्त वर्ष 2009-10 के लिए इन्हीं यूनिटों के लिए 3,183 करोड़ रुपए की कटौती होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2008-09 में कटौती में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए धारा 10 क एवं 10कक के संबंध में वित्त वर्ष 2009-10 में वास्तविक राजस्व परित्याग अनुमान से अधिक हो सकता है।

ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कारपोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 3,80,983 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। 31 दिसम्बर, 2009 तक इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने अपनी विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की थी। उनको वित्त वर्ष 2008-09 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 53,013 करोड़ रुपए की सूचना दी (नमूना के तकरीबन 9 प्रतिशत हानि की सूचना दी गई) परंतु सिर्फ 38,289 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की।
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने इसी वित्त वर्ष के दौरान आयकर के रूप में (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) 12,001 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उनके मामले में प्रभावी कर दर⁶ 22.64 प्रतिशत बनती है।
- इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने इसी वित्त वर्ष के दौरान अनुषंगी लाभ कर के रूप में 525 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर कर परित्याग की गणना द्वारा कटौती की राशि पर 33.99 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है। पहले लाभ में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और फर्मों/एओपी/बीओआई के हानि के खातों एवं आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमत मूल्यहास; कटौती के बीच अंतर का निर्धारण करके त्वरित मूल्यहास, वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती, तथा जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं/ योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती की मद में राजस्व परित्याग की गणना की गई है। तत्पश्चात, परित्यक्त राजस्व के आंकड़े निकालने के लिए इस अंतर पर 33.99 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है।

यद्यपि संदत्त कर की दृष्टि से नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ऐसी कुल संस्थाओं के 90 प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व करती है, इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई के कारण राजस्व परित्याग को इस क्षेत्र में कुल राजस्व परित्याग के रूप में लिया गया है। इस सीमा तक परित्यक्त राजस्व कम आंका गया हो सकता है।

वित्त वर्ष 2008-09 के राजस्व परित्याग आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2008-09 में फर्मों/एओपी/बीओआई से संग्रहीत वास्तविक आय कर (13.361 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष में प्रत्येक कर प्रोत्साहन का कर राजस्व परित्याग के अनुपात की गणना करके और फिर 2009-10 में आयकर संग्रहण के संशोधित अनुमान (14,556 करोड़ रुपए) के इसी अनुपात को लागू करके 2009-10 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। सारणी-6 वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से गैर कारपोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय दर्शाती है। कुल मिलाकर उच्चतम कर दर आवासीय परियोजनाओं जो कुल राजस्व परित्याग का 34.5 प्रतिशत बैठती हैं, से प्राप्त उपक्रमों के लाभों की कटौती के कारण हैं।

सारणी 6 : वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान नमूना फर्मों /एओपी/बीओआई पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार 462053)

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2008-09)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2009-10)
1	एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	78	85
2	ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	शून्य	शून्य
3	सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क और 10कक)	359	391

6. फर्मों/एओपी/बीओआई के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व कुल लाभ (पीबीटी) के संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु अनुषंगी लाभ कर शामिल नहीं) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2008-09)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2009-10)
4	ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	11	12
5	एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	1	1
6	निर्यातान्मुखी यूनिटों (ईओयू) यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख)	416	453
7	कलानात्मक मूल्य की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10खक)	23	25
8	त्वरित मूल्य ह्रास (धारा 32)	364	397
9	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) एवं (2कख)	1	1
10	जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती (धारा 35कग)	19	21
11	पूण्यार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	103	112
12	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छछक)	शून्य	शून्य
13	राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	शून्य	शून्य
14	कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा पोत अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ)	शून्य	शून्य
15	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	36	39
16	सेज और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	47	51
17	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	शून्य	शून्य
18	बिजली के उत्पादन, वितरण और पारेषण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	16	17
19	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	शून्य	शून्य
20	सेज अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	1	1
21	लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	58	63
22	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	79	86
23	जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	30	33
24	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	17	19
25	मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेंशन सेंटर से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	1	1
26	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	शून्य	शून्य
27	खनिज तेल के उत्पादन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	15	16
28	आवास परियोजनाओं से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	1502	1636

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2008-09)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2009-10)
29	कोल्ड चैन फेसिलिटी के प्रचालन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	1	1
30	खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	2	2
31	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण और पेकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	5	5
32	ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	शून्य	शून्य
33	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इग)	171	186
34	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इग)	46	50
35	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इग)	203	221
36	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इग)	383	417
37	जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80 जअक)	5	5
38	अपतटीय बैंकिंग यूनितों (ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक)	शून्य	शून्य
39	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	361	393
योग :		4354	4743

ग. व्यष्टि करदाता:

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों पर कटौती और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर वरीयता उपलब्ध है। तथापि, 50 प्रतिशत व्यष्टि करदाता मुख्यतः वेतन से अपनी आय प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ, गैर वेतन भोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राजस्व परित्याग का 31 दिसम्बर, 2009 तक आयकर विभाग में व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई 20,67,345 विवरणियों में कर तरजीहों के विभिन्न दावों के आधार पर अनुमान लगाया गया है। व्यष्टि करदाताओं के विभिन्न कर लाभों के कारण राजस्व परिव्यय को सारणी 7 में दिखाया गया है।

वर्ष 2008-09 के वित्त वर्ष के राजस्व परित्याग के आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान व्यष्टि करदाताओं से वर्ष में संग्रहीत वास्तविक आयकर (1,20,004 करोड़ रुपए) के संबंध में वर्ष 2008-09 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर राजस्व परित्याग के अनुपात से परिकलित करके लगाया गया है और तत्पश्चात् इसी अनुपात को 2009-10 में व्यष्टियों से वास्तविक आयकर संग्रहणों (1,31,421 करोड़ रुपए) पर लागू किया गया है।

अध्याय VI-क के अलावा, वित्त वर्ष 2008-09 में व्यष्टि करदाताओं से संबंधित अन्य मुख्य कर व्यय का कारण वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति) और महिलाओं (वरिष्ठ नागरिकों से भिन्न) के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमाएं थी।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च बुनियादी कर छूट सीमाओं के कारण राजस्व परित्याग की गणना प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक और महिला के लिए राजस्व परित्याग को उनकी संख्या से गुणा करके की गई है। उनके द्वारा दायर नमूना विवरणियों के प्रतिशत की गणना करके उनकी संख्या का अनुमान लगाया गया है। इसके पश्चात्, वित्त वर्ष 2008-09 के लिए व्यष्टियों द्वारा दायर विवरणियों की कुल संख्या पर इस प्रतिशत को लागू किया गया है। 31 दिसम्बर, 2009 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई कुल नमूना विवरणियां 20,67,345 हैं।

वित्त वर्ष 2008-09 के लिए व्यष्टियों द्वारा दायर विवरणियों की कुल संख्या 2,79,49,329 अनुमान लगाया गया है। नमूना विवरणियों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कुल विवरणियों का 6 प्रतिशत तथा महिलाओं द्वारा शेष 26.3 प्रतिशत विवरणियां दायर की गईं। इस प्रकार, 2,25,000 रुपए की उच्च छूट सीमा का लाभ उठाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 16,66,040 है। इसी तरह, 1,80,000 रुपए की उच्च छूट सीमा का लाभ उठाने वाली महिलाओं (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं) की संख्या 73,45,824 है।

वित्त वर्ष 2008-09 के लिए वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं द्वारा दायर विवरणियों की तुलना में वित्त वर्ष 2009-10 के लिए उनके द्वारा विवरणियों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर 2009-10 के लिए अनुमान तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च बुनियादी छूट सीमाओं (क्रमशः 2,25,000 रुपए और 1,80,000 रुपए) ध्यान में रखकर प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक और महिला (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं) के कारण राजस्व परित्याग की गणना की गई है। परिणामी आंकड़े क्रमशः 7,500 रुपये तथा 3,000 रुपए हैं। इसके पश्चात ऐसे प्रत्येक करदाता के कारण राजस्व परित्याग को उनकी संख्या से गुणा किया गया है।

सारणी 7 वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से व्यक्ति करदाताओं पर मुख्य कर व्यय को दर्शाती है।

**सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2008-09 (नमूना आकार – 3458645) और 2009-10
(नमूना आकार – 2067345) के दौरान व्यक्ति करदाताओं पर मुख्य कर व्यय**

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2008-09)	लक्षित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2009-10)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	26569	28946
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	160	174
3	नयी पेंशन स्कीम में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	22	24
4	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	664	723
5	आश्रित विकलांग के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (80घघ)	58	63
6	विशेषीकृत बीमारियों के चिकित्सा इलाज हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	23	25
7	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	126	137
8	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	313	341
9	हाउसिंग एकोमोडेशन हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	273	297
10	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	23	25
11	राजनीतिक दलों को दिए गए चन्दे के कारण कटौती (80छछग)	9	10
12	अवसंरचना सुविधाओं, एसईजैड तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभ की कटौती (80झक)	56	61
13	एसईजैड अधिनियम, 2005 के अनुसार एसईजैड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	2	2
14	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के नियंत्रण, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत कारोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	676	736
15	पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग)	697	759
16	जैव – उपचयन अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80 जजक)	9	10
17	भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की व्यावसायिक आय की कटौती (80थथक)	शून्य	शून्य
18	पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथख)	8	9
19	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख)	शून्य	शून्य
20	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प)	74	81
21	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	1250	1362
22	महिलाओं हेतु उच्च छूट सीमा	2204	2401
योग		33216	36186

विभिन्न बचत लिखतों में निवेश; आवास ऋण की पुनःअदायगी एवं बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क की अदायगी (आयकर अधिनियम की धारा 80ग) के कारण कर व्यय एक व्यक्ति करदाता के मामले में सबसे बड़ा कर व्यय है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं के सम्बन्ध में उच्च बुनियादी-छूट सीमाएं भी महत्वपूर्ण हैं। जहां तक लाभ आधारित कटौतियों का संबंध है, सबसे बड़ा कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झख के कारण होता है।

अप्रत्यक्ष कर

क. उत्पाद शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। अनेक मामलों में विभिन्न वित्त अधिनियमों में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर ये शुल्क लगाए जाने चाहिए। विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरें उत्पाद शुल्क की "टैरिफ दरों" के रूप में ज्ञात हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को जनहित में छूट अधिसूचनाएं जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वह अनुसूचियों में विहित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें विहित कर सके। छूट अधिसूचनाओं द्वारा विहित दरें "प्रभावी दरों" के रूप में ज्ञात हैं।

परित्यक्त राजस्व को छूट अधिसूचना जारी करने के लिए छोड़कर देय होने वाले शुल्क और सम्बद्ध वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है:-

- उन मामलों में जहां शुल्क की टैरिफ और प्रभावी दरों को यथामूल्य दरों में लगाई जाती है-

परित्यक्त राजस्व = माल का मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर X शुल्क की प्रभावी दर)

- उन मामलों में जहां छूट अधिसूचना के अंतर्गत टैरिफ दर यथा मूल्य आधार पर परन्तु प्रभावी शुल्क विशिष्ट दरों पर लगाया गया है, वहां -
- परित्यक्त राजस्व = (माल का मूल्य X शुल्क की टैरिफ दर) - (माल की मात्रा X विशिष्ट शुल्क की प्रभावी दर)**
- उन मामलों में जहां टैरिफ दरें और प्रभावी दरें यथा मूल्य और विशिष्ट दरों का योग है, परित्यक्त राजस्व का परिकलन तदनुसार किया जाता है।
 - उपर्युक्त सभी मामलों में शुल्क की टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर होने पर परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

धारा 5क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्तियों के अलावा, केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क(2) के जरिए अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों में मामला दर मामला आधार पर उत्पाद शुल्क छूट प्रदान करने हेतु विशेष आदेश जारी करने की शक्तियां भी हैं। तथापि, सामान्य छूटों जो केन्द्र सरकार की राजकोषीय नीति का अभिन्न अंग है, से हटकर छूट आदेशों को जारी करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों से निपटना है। इसलिए विशेष छूट आदेशों को जारी करने के कारण परित्यक्त शुल्क का परिकलन परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में नहीं किया जा रहा है।

पिछले दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2004-05 और 2005-06 के लिए परित्यक्त शुल्क का अनुमान करने के लिए वर्ष 2006-07 के बजट में शुरुआत की गई थी। अनुमान शुल्क भुगतान करने वाली यूनिटों द्वारा दायर आवधिक विवरणियों से संग्रहित आंकड़ों तथा 'सरमन' सॉफ्टवेयर प्रणाली जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 23 विभिन्न जोनों में क्षेत्रीय कार्यालयों और 4 बड़ी करदाता यूनिटों (एल टी यू) द्वारा दी गई प्रविष्टियों के आधार पर आंकड़े होते हैं, द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के आधार पर आधारित थे। तथापि, विस्तृत संगणकीकरण के अभाव में अधिक शुद्धता के साथ परित्यक्त राजस्व का अनुमान करना कठिन पाया गया। संगणकीकरण के संवर्धित स्तरों और सरमन द्वारा रखे जाने वाले विस्तृत और संवर्धित आंकड़ों के साथ बाद के वर्षों के लिए परित्यक्त राजस्व का निर्धारण पिछले वर्षों की तुलना में अधिक शुद्धता के साथ किया गया है। चूंकि सरमन द्वारा रखे गए परित्यक्त राजस्व में क्षेत्र आधारित छूट स्कीम के संचालन के कारण परित्यक्त राजस्व की राशि शामिल नहीं है, उक्त सूचना/आंकड़ों का संग्रहण पृथक रूप से क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों से किया जाता है और इसे कुल परित्यक्त राजस्व जानने के लिए जोड़ दिया जाता है।

वित्त वर्ष 2008-09 के लिए अनुमान अप्रैल-सितम्बर, 2008 की अवधि के लिए उपलब्ध सरमन के आंकड़ों के आधार पर किया गया जिसमें लगभग 75% राजस्व शामिल है। वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही के लिए परित्यक्त राजस्व जानने के लिए 100% तक राजस्व शामिल किया गया। तथापि, सितम्बर-मार्च, 2009 की अवधि के लिए परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों का परिकलन करने के लिए शेष वर्ष के लिए उसी आंकड़ा प्रणाली को जारी रखने के संबंध में सामान्य अनुमान नहीं किया गया। यह इस तथ्य के कारण किया गया कि वर्ष 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान अचानक वैश्विक मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में आई सामान्य मंदी से निपटने के उपाय के तौर पर दिनांक 07.12.2008 को सम्पूर्ण क्षेत्र में 4 प्रतिशत प्वायंट तक प्रभावी उत्पाद शुल्क दरों को कम कर दिया गया था। बाद में दिनांक 24.02.09 को 10% की औसत उत्पाद शुल्क दर को और 2 प्रतिशत प्वायंट कम कर 10% से 8% कर दिया गया। उपयुक्त परिकलन परित्यक्त शुल्क के अनुमानों पर उत्पाद शुल्क ढांचे में इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रभाव के साथ समयोजित करने के लिए किया गया।

वर्ष 2008-09 के लिए परित्यक्त शुल्क का संशोधित आंकड़ा पुनः सरमन आंकड़े पर आधारित है जो पूरे वर्ष के लिए उपलब्ध है और जिसमें 68% राजस्व संग्रहण शामिल है। इसलिए संशोधित परित्यक्त शुल्क का आकलन शेष 32% संग्रहण के लिए उसी आंकड़ों पर विचार करते हुए किया गया। क्षेत्र आधारित छूट स्कीम के संचालन के कारण परित्यक्त शुल्क का आकलन पृथक रूप से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों से किया गया और इसे जोड़ा गया।

तदनुसार वित्त वर्ष 2008-09 के लिए परित्यक्त संशोधित राजस्व 128 293 करोड़ रु. के अनुमान की जगह 135 496 करोड़ रु. है।

चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2009-10 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान भी वर्ष के भाग अर्थात् अप्रैल-दिसम्बर के लिए आंकड़ों के आधार पर बहिर्वेशन प्रणाली का प्रयोग करते हुए किया गया।

तदनुसार वित्त वर्ष 2009-10 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान 1,70,765 करोड़ रु. [1,64,883 करोड़ रु. 35,882 करोड़ रु. (क्षेत्र आधारित छूट के लिए)] है।

1,70,765 करोड़ रु. के अनुमान में 1,35,496 करोड़ रु. के पिछले वर्ष के तदनुसूची संशोधित आंकड़ों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि हालांकि शुल्क की टैरिफ दर 16% जारी रही, अधिकतर उत्पाद शुल्केय माल पर लगाई जा रही 10% की प्रभावी शुल्क दर को तीसरे राजकोषीय स्टिमुलस पैकेज के भाग के तौर पर फरवरी, 2009 में पुनः घटा कर 8% कर दिया गया। 8% की दर सम्पूर्ण वर्ष 2009-10 के दौरान बनाई रखी गई। चूंकि टैरिफ दर में कोई तदनुसूची कमी नहीं की गई जो 16% के पूर्व स्तर पर जारी रही, कुल मिलाकर परित्यक्त शुल्क- टैरिफ दर और प्रभावी दर के बीच का अंतर- में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का प्रश्न है, फिलहाल दो प्रकार की योजनाएं चल रही हैं इट्ट प्रतिदायों पर आधारित और इट्ट तुरंत छूट जैसा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में है। प्रतिदायों पर आधारित छूटों के मामले में, परित्यक्त राजस्व की गणना वैयक्तिक इकाइयों को वास्तव में स्वीकृत प्रतिदायों के जोड़ या वर्ष में उनके द्वारा किए गए दावे के आधार पर की जाती है। वर्ष 2009-10 की पूरी अवधि में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मानक दर में 8% की कमी करने से, यह स्पष्ट है कि प्रतिदायों की मात्रा कम होगी। जहां तक तुरंत छूटों का प्रश्न है, परित्यक्त राजस्व की गणना सामान्य प्रचलित दर और वास्तव में प्रदत्त शुल्क (शून्य) के बीच के अंतर का प्रयोग करके की जाती है। अतः इसी तर्क से, छूट की योजनाओं के संदर्भ में परित्यक्त राजस्व भी अधोगामी प्रवृत्ति दर्शाती है।

परित्यक्त राजस्व के आंकड़े नीचे सारणी 8 में दिए गए हैं।

सारणी 8 : उत्पाद शुल्क के अंतर्गत कर व्यय

क्रम सं.	छूट का विवरण	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रूपए में)		
		2008-09 प्राक्कलन	2008-09 संशोधित (अनंतिम)	2009-10 प्राक्कलन
1	पूवोत्तर के राज्यों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर; गुजरात के कच्छ जिले में लागू क्षेत्र आधारित छूटें	10327	10589	5882
2	अन्य	117966	125169	164883
योग		128293	135496	170765

ख. सीमा शुल्क ड्यूटी

आयात पर सीमा शुल्क ड्यूटी, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क "टैरिफ दरें" अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची, जिसे "टैरिफ दरें" कहा जाता है, में निर्धारित दर से वसूला जाता है। सीमा शुल्क दर सूची अधिनियम, 1975 में अतिरिक्त सीमा शुल्क की उगाही का भी प्रावधान (जिसे आमतौर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क या सी वी शुल्क कहा जाता है) है, जिसकी उगाही उसी दर से की जाती है, जो ऐसे माल का विनिर्माण भारत में होने पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर हो। उत्पाद शुल्क की उगाही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दरसूची अधिनियम, 1985 की अनुसूची एवं विभिन्न वित्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों पर की जाती है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को लोकहित में अधिसूचना जारी करने की शक्ति दी गयी है जिससे निर्धारित शुल्क की दर सीमा शुल्क दर सूची अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित दरों से कम हो। अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरों को "प्रभावी दरें" कहते हैं।

इस प्रकार परित्यक्त राजस्व को छूट अधिसूचना जारी न होने पर संदेय शुल्क और संगत अधिसूचना के निबंधनों के अनुरूप प्रदत्त शुल्क के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में,

परित्यक्त राजस्व = मूल्य एक्स (शुल्क की दरसूची दर-शुल्क की प्रभावी दर)

इस प्रकार, यदि टैरिफ की दर प्रभावी दर के बराबर हो तो परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व का प्राक्कलन, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डेटाअंतरण (ई डी आई) अवस्थानों पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक डेटा अंतरण प्रणाली (आई सी ई एस) में दायर आगम पत्रों से उत्पन्न डेटा के आधार पर किया जाता है। फिर भी, ई डी आई प्रणाली में चूंकि छोटे पत्तनों से किए गए आयात के डेटा शामिल नहीं हो पाते जो या तो ई डी आई कवरेज से बाहर होते हैं या वहां पर आगम पत्र हाथ से दायर किए जाते हैं, इसलिए हमारे पास उपलब्ध ई डी आई डेटा से परित्यक्त सीमा शुल्क राजस्व की पूरी तस्वीर नहीं उपलब्ध होती।

परित्यक्त राजस्व डेटा में मूल सीमा शुल्क ड्यूटी, सी वी ड्यूटी से छूट तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत जारी छूट अधिसूचनाएं भी शामिल की जाती हैं जो सी वी ड्यूटी की उगाही से संगत होती हैं। इसमें 4% की विशेष सी वी डी से छूटें भी शामिल की जाती हैं।

वर्ष 2008-09 में 99470 करोड़ रु. के वास्तविक सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण के समक्ष ई डी आई डेटा द्वारा बताया गया सकल सीमा शुल्क राजस्व 83159 करोड़ रु. था। इस प्रकार ई डी आई डेटा वर्ष 2008-09 के वास्तविक सूचित सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण का 83% दर्शाता है। जहां 2007-08 के लिए ई डी आई डेटा, वास्तविक सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण का 82% दर्शाता है, 2006-07 के लिए यह आंकड़ा 83% था। प्रभाव में, परित्यक्त राजस्व के आंकड़े का प्राक्कलन, पर्याप्त वृहत नमूने के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2008-09 का प्राक्कलित परित्यक्त राजस्व, उपर्युक्त अवधि के अनंतिम परित्यक्त राजस्व के रूप में लिया गया है, क्योंकि जिस डेटा पर भरोसा किया गया है वह इस अवधि में नहीं बदला है। इस प्रकार, सभी छूट अधिसूचनाओं के कारण वर्ष 2008-09 का अनंतिम परित्यक्त शुल्क 225752 करोड़ रु. है।

वर्ष 2009-10 के प्राक्कलित परित्यक्त राजस्व (अनुमानित) की गणना करने के लिए, यही पद्धति अपनायी गयी थी। इस प्रकार, जहां कहीं आवश्यक हो वहां समुचित समायोजन करने के बाद, ई डी आई डेटा अखिल भारतीय आंकड़े पर पहुंचने के लिए दर्शाए गए हैं। चूंकि ई डी आई में खाद्य तेल, बीवरेज, खनिज एवं अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद/कच्चे पेट्रोलियम के राजस्व पर्याप्त रूप से शामिल नहीं होते जिनका आयात सामान्यतः ई डी आई से परे (छोटे पत्तनों) के सीमा शुल्क अवस्थानों के जरिए बल्क कार्गो के रूप में किया जाता है, अतः इन मदों से प्राप्त वास्तविक राजस्व के आंकड़े अलग से संग्रहित किए गए हैं। अप्रैल से सितम्बर 2009 की अवधि में ई डी आई के अनुसार कुल प्राप्त राजस्व 33222 करोड़ रु. है, फिर भी इन जिनसों से प्राप्त वास्तविक राजस्व को ई डी आई डेटा में जोड़ देने पर वर्ष 2009-10 का (सितंबर 2009 तक) कवरेज बढ़कर 35705 करोड़ रु. या कुल राजस्व का लगभग 91% हो जाता है।

डेटावेस में समुचित समायोजन के पश्चात, अप्रैल, 2009 से सितम्बर, 2009 के आंकड़ों का 12 महीनों के आंकड़े निकालने के लिए प्रयोग किया गया है जिससे समस्त वर्ष का परित्यक्त राजस्व 249021 करोड़ रु. बैठता है। सीमा शुल्क ड्यूटी के संदर्भ में कुल परित्यक्त राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% बढ़ गया है। परित्यक्त राजस्व में यह वृद्धि 2008-09 के दौरान दर्ज परित्यक्त राजस्व (पिछले वर्ष की तुलना में 47% की वृद्धि) की तुलना में मध्यम है क्योंकि पिछले वर्ष के विपरीत जब कई महत्वपूर्ण मदों यथा कच्चे पेट्रोलियम, खाद्य तेल एवं इस्पात तथा दो प्रेरक पैकेजों का सी वी डी प्रभाव में सीमा शुल्क की दरों में भारी कटौती की गयी थी, सीमा शुल्क दरों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2009-10 पर्याप्त स्थिर रहा। 2008-09 में प्रभावी कटौतियां पूरे वर्ष लागू रही थीं।

महत्वपूर्ण वस्तु गुणों और कुल मिलाकर परित्यक्त शुल्क में उनके हिस्से के कारण वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 की अविध में परित्यक्त सीमा शुल्क सारणी 9 में निम्न प्रकार दिया गया है :

सारणी-9

(करोड़ रुपये में)

परित्यक्त राजस्व में महत्वपूर्ण वस्तु गुणों का हिस्सा

क्षेत्र	2008-09		2009-10	
	परित्यक्त राजस्व	कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत	परित्यक्त राजस्व	कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत
कूड ऑयल एंड मिनरल ऑयल	47424	21	38820	15.59
मशीनरी	31262	13.8	40174	16.13
हीरे, सोना और जवाहरात	27649	12.2	39769	15.97
ईडिबल वेजिटेबल फ्रूट, अनाज	26841	11.9	36537	14.67
प्राइमरी मेटल्स	14960	6.63	18010	7.23
केमिकल्स एंड प्लास्टिक	15707	7	21403	8.59
टैक्सटाइल	11085	4.9	9568	3.84
फर्टिलाइजर	14200	6.3	8010	3.22
साल्ट और अयस्क	9726	4.3	3153	1.27
ड्रग्स	3385	1.5	2747	1.10
महत्वपूर्ण वस्तु गुणों के लिए कुल	202240	90	218191	88

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्यायों में से प्रत्येक के लिए परित्यक्त राजस्व का आंकड़ा सारणी में निम्न प्रकार है :

सारणी :10 सीमा शुल्क क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण कर व्यय के अनुमान

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2008-09 (अस्थाई)	2009-10 (अनुमानित)
1	लाइव एनिमल	2	3
2	मीट एंड ईडिबल मीट ऑफल	4	8
3	मछली और झीगा अन्य जलचर	25	42
4	डेयरी प्रोडक्ट्स	52	147
5	पशु मूल के अन्य आर्गन	16	27
6	हरे भरे पेड़ और अन्य पौधे	6	5
7	खाद्य वनस्पतियां रूट्स और टर्बर्स	3601	4424
8	ईडिबल फ्रूट एंड नट्स	1656	2586
9	काफी, चाय, मीट और स्पाइसिस	621	855
10	अनाज	87	27
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद	21	59
12	आयलसीड्स, ग्रेन्स, सीड्स, फ्रूट	214	362
13	लाख, गम्स और रेसिन	163	227
14	वेजिटेबल प्लेटिंग सामग्री	1	1
15	एनीमल ऑफ वेजिटेबल फेट्स	21497	29530
16	मीट और मछली की निर्मितियां	11	21
17	चीनी	408	269
18	कोका	49	80
19	अनाज की निर्मितियां	29	42
20	सब्जियों की निर्मितियां	22	34
21	विविध एडिबल निर्मितियां	243	377
22	ब्रीव्रेज और स्प्रिट	229	631
23	खाद्य उद्योग से अवशेष और कूड़ा कबाड़	161	296
24	तंबाकू	12	11
25	नमक, सल्फर, एर्थ और स्टोन	978	616
26	अयस्क	8748	2537
27	मिनरल फ्यूल्स एवं मिनरल तेल	47424	38820
28	इनआर्गनिक केमिकल्स	4879	4685
29	आर्गनिक केमिकल्स	7700	10722
30	फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद	3385	2747
31	फर्टिलाइजर	14200	8010
32	टेनिंग और डाइंग अवशेष और पिगमेंट	450	965
33	ऐसेन्शियल ऑयल	282	544
34	साबुन और धोवन निर्मितियां	135	300
35	अल्बुमिनोइडल सब्सटेंसिस	100	211
36	विस्फोटक, माचिसें	10	32
37	फोटोग्राफी माल	113	231

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2008-09 (अस्थाई)	2009-10 (अनुमानित)
38	विविध केमिकल उत्पाद	1657	2725
39	प्लास्टिक	3128	5996
40	रबर	1316	2132
41	हाइड एंड स्किन एंड लेदर	300	333
42	चमड़े की वस्तुएं	43	76
43	फर स्किन	3	4
44	लकड़ी	1167	1430
45	कार्क	2	2
46	स्ट्र उत्पादक	0	0
47	लकड़ी की लुगदी	383	493
48	पेपर	1426	1681
49	प्रीटिड बुक और अखबार	365	347
50	सिल्क	453	640
51	ऊन	293	320
52	कॉटन	1183	1046
53	अन्य वेजिटेबल फाइबर्स	49	41
54	मानव निर्मित फिलामेंट	3764	4731
55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	408	601
56	वेडिंग एंड नॉन वोवन	34	53
57	कारपेट	26	30
58	विशेष वोवन फेब्रिक	4025	886
59	कोटिड टेक्सटाइल फेब्रिक	565	807
60	निटिड फेब्रिक्स	164	264
61	नीटिड रेडिमेंट गारमेंट	23	30
62	वोवन गारमेंट	60	52
63	मेड अप्स	39	67
64	फुटवियर	169	233
65	हेड गियर	2	4
66	छाता	16	20
67	पंख/कृत्रिम फूल	12	13
68	आर्टिकल आफ स्टोन/प्लास्टर	133	226
69	सेरेमिक प्रोडक्ट्स	316	437
70	ग्लास एंड ग्लासवेअर	208	371
71	प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी	27649	39769
72	ऑयरन एंड स्टील	8634	10494
73	आयरन एंड स्टील की वस्तुएं	3371	2972
74	कॉपर एंड और उसकी वस्तुएं	654	903
75	निकेल एवं उसकी वस्तुएं	230	326
76	अल्युमिनियम और उसकी वस्तुएं	976	1487

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2008-09 (अस्थाई)	2009-10 (अनुमानित)
78	लीड एंड और उसकी वस्तुएं	172	484
79	जिंक और उसकी वस्तुएं	159	271
80	टिन एंड आर्टिकल्स देयरआफ	74	96
81	अदर बेस मेहल्स	118	253
82	टूल एंड इम्प्लीमेंट	411	444
83	बेस मेटल्स की विविध वस्तुएं	160	282
84	मशीनरी	18567	21990
85	इलेक्ट्रीकल मशीनरी	12695	18184
86	रेलवे और ट्रामवे लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक आदि	357	738
87	मोटर व्हीकल	3010	3754
88	एयरक्राफ्ट	2072	2533
89	शिप, बोट और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स	2432	1075
90	ऑप्टिकल/फोटोग्राफिक इस्ट्रूमेंट्स	3404	4236
91	क्लॉक एंड वाचिस	49	119
92	म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट	9	11
93	आर्म्स एंड एम्युनिशन	166	397
94	फर्नीचर	306	378
95	टायस एंड गोम्स	181	192
96	विविध विनिर्मित वस्तुएं	177	248
97	वर्क आफ आर्ट, एंटीक्स	27	26
98	प्रोजेक्ट, इम्पोर्ट बैगेज	425	785
	कुल	225752	249021

इन आंकड़ों में प्रतिअदायगी को छोड़कर विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के कार्यक्रम से परित्यक्त राजस्व शामिल हैं। अलग अलग निर्यात संवर्धन स्कीमों से परित्यक्त राजस्व का ब्यौरा पृथक रूप से नीचे दिया गया है। इन स्कीमों में से शुल्क मुक्त पात्रता क्रेडिट प्रमाणपत्र, टारगेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) भारत और महत्वपूर्ण बाजार से संचालित प्रोत्साहित स्कीम हैं। शेष या तो छूट स्कीम हैं अथवा निविष्ट कर क्रेडिट प्रदान करती है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमारे निर्यातकों को सामान क्षेत्र प्रदान किया जा सके। इस स्कीम के में विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों (प्रतिअदायगी को छोड़कर) से परित्यक्त राजस्व को प्रोत्साहन स्कीमों के संवर्ग में आने वाली विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों से परित्यक्त राजस्व की राशि तक कम किए जाने की आवश्यकता है। नीचे की सारणी 11 के क्रम संख्या 15 में ऐसे परित्यक्त राजस्व की राशि दी गई है।

सारणी 11 : निर्यात संवर्धन रियायतों के कारण परित्यक्त रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व

(करोड़ रुपये में)

अध्याय	योजना का नाम	2008-09 (अस्थाई)	2009-10 (अनुमानित)
1	अग्रिम लाइसेंस योजना	12389	10682
2	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी	13401	8015
3	ईपीसीजी	7833	5574
4	डीईपीबी स्कीम	7092	8806
5	एसईजेड	2324	3204

अध्याय	योजना का नाम	2008-09 (अस्थाई)	2009-10 (अनुमानित)
6	डीएफआरसी	111	43
7	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार योजना	1268	1646
8	शुल्क मुक्त पात्रता क्रेडिट प्रमाणपत्र	418	206
9	टारगेट प्लस योजनाएं	1220	265
10	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)	2059	3886
11	भारत से सेवा योजना	531	526
12	फोकस मार्केट/ उत्पाद योजना	408	769
13	जोड़	49053	43622
14	घटा क्रम संख्या 8 से 12 तक प्रोत्साहन योजनाओं के कारण परित्यक्त राजस्व	4636	5652
15	निविष्ट कर निष्क्रिय अथवा छूट स्कीमों के कारण परित्यक्त राजस्व को सीमा शुल्क के कारण परित्यक्त सकल राजस्व से घटाए जाने हेतु	44417	37970

नोट : परित्यक्त राजस्व के उपर्युक्त अनुमानों में आपवादिक प्रकृतिक की परिस्थितियों से संबंधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण परित्यक्त राजस्व शामिल नहीं है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के संबंध में वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10, के लिए परित्यक्त राजस्व के आंकड़े सारणी-12 में दिये गए हैं।

सारणी - 12 : वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 में परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपये में)

	वर्ष 2007-08 में परित्यक्त राजस्व	वर्ष 2007-08 में सकल कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व	वर्ष 2008-09 में परित्यक्त राजस्व	वर्ष 2008-09 में सकल कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व
कारपोरेट आयकर	66901	11.08%	79554	12.60%
वैयक्तिक आयकर	37570	6.22%	40929	6.48%
उत्पाद शुल्क	128293	21.25%	170765	27.04%
सीमा शुल्क	225752	37.39%	249021	39.43%
कुल	458516	75.95%	540269	85.56%
संबंधित कम निर्यात क्रेडिट सारणी-11 की क्र.सं. 15	44417	7.36%	37970	6.01%
कुल योग	414099	68.59%	502299	79.54%

नोट : (1) कुल कर संग्रह केन्द्र सरकार द्वारा संग्रहित निवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का योग है।

(2) वर्ष 2008-09 के लिए कुल कर संग्रह के आंकड़े वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है और 2009-10 के लिए कुल कर संग्रह के आंकड़े संशोधित अनुमानों पर आधारित है।

निष्कर्ष के तौर पर परित्यक्त राजस्व की राशि वर्ष दर वर्ष बढ़ती रही है। कुल कर संग्रह की प्रतिशतता के तौर पर परित्यक्त राजस्व अत्यधिक रहा है और जहां तक वित्त वर्ष 2008-09 के लिए कारपोरेट आयकर का संबंध है यह वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है अप्रत्यक्ष करों के मामलों में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कमी के कारण वित्त वर्ष 2009-10 के लिए प्रवृत्ति अत्यधिक वृद्धि को दर्शाती है इसलिए इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए कर दायरे में विस्तार अपेक्षित है।

परिशिष्ट

उद्योग में नमूना कंपनियों की अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर
(वित्त वर्ष 2008-09) (नमूना आकार – 365509)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)	संदेय कुल कर (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	कृषि आधारित उद्योग	8,515	5,887	1,197	20.3
2	विनिर्माण	आटोमोबाइल एवं आटो पार्ट्स	3,555	13,878	3,247	23.4
3	विनिर्माण	सीमेंट	587	11,304	1,192	17.6
4	विनिर्माण	हीरा कटाई	377	383	54	14.2
5	विनिर्माण	औषधि एवं भेषज	4,262	13,370	2,302	17.2
6	विनिर्माण	इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित	2,233	4,796	1,320	27.5
7	विनिर्माण	इंजीनियरी माल	8,161	15,004	4,073	27.1
8	विनिर्माण	उर्वरक, रसायन एवं पेन्ट्स	3,319	21,984	3,024	13.8
9	विनिर्माण	आटा एवं चावल मिलें	1,124	395	105	26.8
10	विनिर्माण	खाद्य प्रसंस्करण यूनिट	1,958	3,217	848	26.4
11	विनिर्माण	संगमरमर एवं ग्रेनाइट	1,639	663	163	24.6
12	विनिर्माण	कागज	1,248	6,304	1,444	22.9
13	विनिर्माण	पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन	589	36,266	6,259	17.3
14	विनिर्माण	विद्युत एवं ऊर्जा	2,576	57,048	12,532	22.0
15	विनिर्माण	मुद्रण एवं प्रकाशन	2,163	2,383	685	28.8
16	विनिर्माण	रबर	850	483	104	21.6
17	विनिर्माण	इस्पात	4,100	18,653	5,391	28.9
18	विनिर्माण	चीनी	230	1,682	222	13.2
19	विनिर्माण	चाय एवं काफी	797	1,169	195	16.8
20	विनिर्माण	वस्त्र, हथकरघा तथा पावरलूम	8,290	9,162	816	8.9
21	विनिर्माण	तम्बाकू	291	591	159	27.0
22	विनिर्माण	टायर	141	638	191	30.0
23	विनिर्माण	वनस्पति एवं खाद्य तेल	567	1,176	240	20.5
24	विनिर्माण	अन्य	43,757	97,447	24,571	25.2
25	व्यापार	चेन स्टोर	624	172	44	25.9
26	व्यापार	खुदरा विक्रेता	8,213	1,850	504	27.3
27	व्यापार	थोक विक्रेता	14,402	3,108	874	28.1
28	व्यापार	अन्य	53,516	22,917	5,855	25.6
29	कमीशन एजेंट	सामान्य कमीशन एजेंट	3,473	1,017	315	31.0
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	10,884	3,423	722	21.1
31	भवन निर्माता	संपदा एजेंट	2,314	1,228	282	23.0
32	भवन निर्माता	प्रापर्टी डेवपलेपर	18,634	15,964	2,202	13.8
33	भवन निर्माता	अन्य	12,780	2,313	454	19.7
34	संविदाकार	सिविल संविदाकार	6,040	9,579	2,490	26.0
35	संविदाकार	एक्साइज संविदाकार	15	4	1	21.5

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)	संदेय कुल कर (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
36	संविदाकार	वन संविदाकार	6	1	0	2.6
37	संविदाकार	खनन संविदाकार	458	1,870	573	3.7
38	संविदाकार	अन्य	6,134	8,062	1,704	21.1
39	व्यावसायिक	सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षक, आदि	64	6	1	30.2
40	व्यावसायिक	फैशन डिजाइनर	58	29	7	24.0
41	व्यावसायिक	विधिक व्यावसायिक	163	36	12	33.0
42	व्यावसायिक	चिकित्सा व्यावसायिक	935	147	39	26.8
43	व्यावसायिक	नर्सिंग होम	780	80	22	28.2
44	व्यावसायिक	विशेषज्ञ अस्पताल	366	410	98	24.0
45	व्यावसायिक	अन्य	3,717	1,662	478	28.8
46	सेवा	विज्ञापन एजेंसियां	1,874	894	297	33.3
47	सेवा	ब्यूटी पार्लर	131	23	8	35.5
48	सेवा	परामर्शी सेवाएं	9,853	9,490	1,680	17.7
49	सेवा	कुरियर एजेंसियां	364	380	114	30.1
50	सेवा	कंप्यूटर प्रशिक्षण, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान	1,900	841	224	26.6
51	सेवा	विदेशी मुद्रा डीलर	485	23	6	27.6
52	सेवा	अतिथि सेवाएं	2,392	1,584	411	26.0
53	सेवा	होटल	4,970	3,258	883	27.1
54	सेवा	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता	6,493	19,568	2,571	13.1
55	सेवा	सुरक्षा एजेंसियां	845	294	102	34.8
56	सेवा	साफ्टवेयर विकास एजेंसियां	8,166	26,030	3,072	11.8
57	सेवा	ट्रांसपोर्टर	2,991	3,122	685	22.0
58	सेवा	ट्रैवल एजेंट एवं टूर आपरेटर	2,600	473	148	31.4
59	सेवा	अन्य	37,481	55,679	12,600	22.6
60	सेवा	बैंकिंग कंपनियां	246	74,323	24,792	33.4
61	सेवा	चिट फंड	1878	97	28	29.5
62	सेवा	वित्तीय संस्थाएं	284	7,285	2,074	22.5
63	सेवा	वित्त सेवा प्रदाता	2,636	2,832	815	28.8
64	सेवा	लीजिंग कंपनियां	600	805	104	13.0
65	सेवा	उधार देने वाला	401	684	216	31.6
66	सेवा	गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां	7,738	19,383	4,767	24.6
67	सेवा	शेयर दलाल, उप दलाल आदि	3,458	3,630	1,158	31.9
68	सेवा	अन्य	17,350	34,649	6,087	17.6
69	मनोरंजन उद्योग	केबल टीवी निर्माण	243	138	44	31.9
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	283	498	151	30
71	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशालाएं	25	35	3	10.9
72	मनोरंजन उद्योग	मोशन पिक्चर निर्माता	357	221	73	33.3
73	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	226	939	319	34.0
74	मनोरंजन उद्योग	अन्य	4,034	3,400	931	27.4
योग			3,65,509	6,68,373	1,52,212	22.8